

275

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगा 4041-I-14

प्रकरण क्र. /14 निगरानी



श्री. प्रदीप श्रीवास्तव 50  
द्वारा आज दि. 6-12-14 को  
प्रस्तुत

*Shri*  
6-12-14  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

*Shri*  
प्रदीप श्रीवास्तव  
सं.

1. जलमू पुत्र गुलविया जाति नाथ निवासी ग्राम नैगुवा तहसील छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. फूला पत्नि जलमू जाति नाथ निवासी ग्राम नैगुवा तहसील छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण  
विरुद्ध

1. म.प्र. शासन
2. कैलाश पाठक पुत्र श्री मुरलीधर पाठक निवासी ग्राम नैगुवा तहसील छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)
3. हरदेव पुत्र मलखान सिंह
4. मुलायम सिंह पुत्र मलखान सिंह
5. गुलाब सिंह पुत्र शंकर सिंह सभी निवासीगण, नैगुवा तहसील छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. मू.रा.संहिता 1950 विरुद्ध  
आदेश माननीय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्र.  
49/स्व.प्रे.निग./2013-14 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2014

माननीय महोदय,

आवेदकगण की निगरानी निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यहकि, प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नैगुवों की भूमि सर्वे नम्बर 1917, 1918/6, 1935, 1937 एवं 1905/5 रकवा 13.87 एकड़ सम्वत् 2009 के राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन के


3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-4041-एक/2014

जिला-छतरपुर

जलमू व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 49/स्व.प्रे.निग./2013-14 में पारित आदेश दिनांक 31-05-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> (आर0के0 जैन) सदस्य 18/03/19</p>